उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 196 /9–1–2017–18सा/2017
लखनऊः दिनांक 8 फरवरी, 2017

विज्ञप्ति

निगोशिएबुल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881, (1881 की एक्ट संख्या–26) की धारा–25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रदेश के संबंधित जनपदों में मतदान की तिथि को वहाँ की नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायत एवं जल संस्थानों तथा जल निगम में कार्यरत मस्टर रोल, दैनिक वेतन एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों सहित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदान की तिथि को मत देने की सुविधा के उद्देश्य से सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित करते है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अवकाश के बदले सप्ताह के अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

क्0 सं0	विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 से संबंधित जिले	दिनांक जिसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया
1	शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा तथा कासगंज	दिनांक 11 फरवरी, 2017
2	सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर तथा बदायूँ	दिनांक 15 फरवरी, 2017
3	फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी तथा सीतापुर	दिनांक 19 फरवरी, 2017
4	प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर तथा रायबरेली	दिनांक 23 फरवरी, 2017
5	बलरामपुर, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर,बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, अमेठी तथा सुलतानपुर	दिनांक 27 फरवरी, 2017
6	महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ तथा बलिया	दिनांक 04 मार्च, 2017
7	गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र तथा जौनपुर	दिनांक 08 मार्च, 2017

श्री प्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–196 (1)/9–1–2017–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–80/सी0ई0ओ0–4–29/4–2017, दिनांक 14.01.2017 के संदर्भ में (दो अतिरिक्त प्रतियॉ सहित)
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–80/सी0ई0ओ0–4–29/4–2017, दिनांक 14.01.2017 (प्रति संलग्न) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधितों को अपने स्तर से निर्देशित किये जाने हेतु।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 50 प्रतियॉ नगर विकास अनुभाग–1 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. सामान्य प्रशासन अनुभाग।
11. नगर विकास विभाग के अधिकारी/अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।